निगरानी / टी.ए. / 5577 / 2005 / गंगानगर
बहादुर सिंह बनाम लिछमा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य उपस्थित : श्री दिनेश कुमार, अभिभाषक प्रार्थी श्री अमृतपाल सिंह वानर, अभिभाषक अप्रार्थी दिनांक : 23–06–2025 निर्णय यह निगरानी सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा प्रकरण सं. 49 / 05 में पारित निर्णय दिनांक 30–08–2005 के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की गई है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि वादीया / अप्रार्थीया ने धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के समक्ष वाद संख्या 79 / 95 प्रस्तुत किया, जो निर्णय दिनांक 30–12–1999 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो निर्णय दिनांक 25–01–2002 द्वारा अस्वीकार कर दी गई। इसके पश्चात् वादीया / अप्रार्थीया ने उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के न्यायालय में दूसरा वाद अन्तर्गत धारा 53, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने प्रार्थीया के दावा सं.79 / 95 में 1 / 7 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया है इसलिए विभाजन किया जावे, जो दावा संख्या 25 / 02 दर्ज है। प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन यिा कि पूर्व में दावा सं. 79 / 95	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	का निर्णय अभी अंतिम नहीं हुआ है क्योंकि इसकी अपील राजस्व मण्डल में जेरकार है, इसी कारण से दूसरा दावा संख्या 25 / 02, जो अप्रार्थीया ने धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है उसे धारा 10 सीपीसी के तहत स्थगित किया जावे। इस पर उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने आदेश दिनांक 17—02—2004 द्वारा दावे में की जाने वाली कार्यवाही स्थगित कर दी। अप्रार्थीया / वादिया ने उपखण्ड अधिकारी सूरगतढ के समक्ष धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जो दावा 10 सीपीसी के तहत स्थगित किया गया है, उसे पुनः नम्बर में लिया जाकर निर्णय पारित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30—08—2005 द्वारा दावा संख्या 25 / 02 में पारित आदेश दिनांक 17—02—2004 निरस्त कर दिया और अनिर्णित वाद संख्या 25 / 02 पुनः पेशी में लिया जाकर आगामी कार्यवाही करने के आदेश दिये। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि जब एक दावा अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी के तहत स्थगित कर दिया गया है उसे फिर धारा 151 सीपीसी के तहत निरस्त कर पुनः नम्बर पर लेकर कार्यवाही करने के आदेश गलत पारित किये हैं। अगर कोई गलत आदेश पारित हो गया है तो उस आदेश की निगरानी सक्षम न्यायालय में करनी चाहिए थी, नहीं करने की सूरत में वह आदेश अन्तिम हो गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि धारा 151 सीपीसी का प्रावधान उन्हीं प्रकरण में लागू हो सकता है जिसमें निगरानी का प्रावधान नहीं है जबकि इस केस में एक दफा आदेश प्रसारित हो गये हैं और अगर उस आदेश से व्यथित थे तो निगरानी करनी चाहिए, उसे गलत आधारों पर निरस्त करना कानूनन गलत है। अतः यह निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन आदेश	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	दिनांक 30–08–2005 को निरस्त किया जावे। अभिभाषक अप्रार्थी ने निगरानीधीन आदेश को न्यायोचित बताते हुये निगरानी सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 30–08–2005 द्वारा अप्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को स्वीकार करते हुए दावा संख्या 25 / 2002 में पारित आदेश दिनांक 17–02–2004 को निरस्त कर वाद संख्या 25 / 2002 को पुनः पेशी में लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 30–08–2005 में यह अंकित किया है कि–''रिसीवर ने दिनांक 20–08–2003 को विवादित भूमि का कब्जा लेने के पश्चात् आज तक नीलामी की कोई कार्यवाही नहीं की है। दिनांक 29–06–2004 के आदेशानुसार अप्रार्थी नं.6 श्रीमती रामकौरी से नकद प्रतिभूति राशि 5,900 / –रूपया अभी तक जमा नहीं करवायें है। रिसीवर ने उक्त राशि वसूल करने में कोई तत्परता आदेश होने के बावजूद नहीं दिखाई है। रिसीवर शुदा 8 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर अप्रार्थीगण आज तक काबिज होकर फसल उठा रहे है। उनके खिलाफ कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करवाई है। उनकी फसल जब्त कर नीलामी की कार्यवाही नहीं की है। इससे साफ जाहिर होता है कि रिसीवर अप्रार्थीगण को प्रोत्साहन दे रहा है। वे इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की जानबूझकर अवहेलना कर रहे है। जिससे प्रार्थीगण को नुकसान हो रहा है। उनका भूमि विभाजन दावा अप्रार्थीगण ने धारा 10	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	सीपीसी के तहत गलत तथ्य प्रस्तुत कर स्थगित करवा रखा है। दूसरी तरफ उनके हिस्से की भूमि पर अनाधिकृत रूप से बलपूर्वक काबिज होकर फसल उठा रहे है। इन सभी अवैधानिक कृत्यों को रोकना न्यायालय का प्रथम दायित्व है। जिससे प्रार्थीगण की आर्थिक क्षति भी रूक सके तथा दोनों पक्षों के मध्य विवादित भूमि का झगड़ा हमेशा के लिये समाप्त हो सके। इस दृष्टि से धारा 151 सी.पी.सी के तहत प्राप्त असीमित अधिकारों के तहत वृद्धा–विधवा–कमजोर व असहाय महिला वर्ग को न्याय शीघ्र मिल सके।'' उपरोक्त आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय ने वाद सं. 25 / 2002 में आगामी कार्यवाही किया जाना न्यायोचित मानते हुए अप्रार्थीया के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर वाद संख्या 25 / 2002 को पुनः पेशी में लेकर आगामी कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने का आदेश पारित किया है, जो उचित है एवं उसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निगरानी खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–08–2005 बहाल रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	